FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बयाना

मनोज बनाम श्रीमती लाडो वगैरह

तादाद मुकदमा प्रा०प्र०/2021 नं. सन 30/21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/01/21	प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। 250 प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र धारा 251 एलआरएक्ट के तहत पेश किया। प्रार्थी के एडवोकेट प्रार्थी को एक तरफा सुना। पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया प्रकरण तमाम तथ्यों प्रार्थीगण के हक में प्रकट होता है कि अप्रार्थीगण आम के विरुद्ध कार्यवाही नियमानुसार आगामी तारीख पेशी दिनांक 6/5/21 तक इस आशय का जारी किया जाता है कि प्रार्थना पत्र की नकल संलग्न 02 किता वास्ते आगामी तारीख तहसीलदार बयाना से प्रार्थीगण के हिस्से की तरमीम बयाना में प्रार्थीगण को मौके की यथास्थिति बनाए आगामी तारीख के मौके की कोई आपत्ति होतो रखें इस बाबत कोई आपत्ति हो तो तारीख पेशी को न्यायालय द्वारा विरुद्ध तारीख पेशी 350 हो। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब दिनांक 6/5/21 को पेश हो का पत्रावली	
6/5/21	पीठासीन अधिकारी कोरोना महामारी में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/8/21 को पेश हो। रीडर एस०डी०ओ०/एस०डी०एम० बयाना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
18/12/24	पुकार पेश हुआ। ला० प्रार्थीगण जवाब अप्रार्थीगण बन्द किया जाता है। पुकार दि० 11/3/25 को पेश हो।
11/3/25	पी.ओ. श्रीमान् उपा। वकन हेतु अवकाश पर है। प्रकरण दि० 24/4/25 को पेश हो।
	पीठासीन अधिकारी दीगर कार्य में
24/4/25	पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/8/25 को पेश हो। रीडर ओ.एस.डी.एन.
20/8/25	पी.ओ. श्रीमान् उपा। वहस. हेतु अवकाश पर है। प्रकरण दि० 6/10/25 को पेश हो।
6/10/25	पीठासीन अधिकारी दीगर कार्य में पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/10/25 रीडर ओ.एस.डी.एन.
15/10/25	पीठासीन अधिकारी दीगर कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/1/26 को पेश हो। रीडर ओ.एस.डी.एन.
7/1/26	प्रकरण पेश हुआ। ला० प्रार्थीगण उपा। प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बाबत अनापत्तीय बहस सुनी गई। उ० प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर ता० फैसला स्थगन आदेश बाबत निवेदन किया। हमने बहस अनापत्तीय सुनने के उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्राइमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन वादीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 27/01/2021 को ता० फैसला तक पुष्ट किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature]	